

Papers Laid o the Table of the House by Ministers/Members

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) (एक) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
(तीन) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 226/18/24]

- (3) (एक) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 227/18/24]

- (5) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 228/18/24]

- (7) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 229/18/24]

- (9) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 230/18/24]

- (11) (एक) केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहंग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहंग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 231/18/24]

- (13) (एक) नामग्याल इंस्टिट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) नामग्याल इंस्टिट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 232/18/24]

- (15) (एक) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 233/18/24]

(17) (एक) गदेन राब्येल्लिंग मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गदेन राब्येल्लिंग मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 234/18/24]

(19) (एक) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग मोनास्ट्री, तवांग, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग मोनास्ट्री, तवांग, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 235/18/24]

(21) (एक) केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 236/18/24]

(23) (एक) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 237/18/24]

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 3, श्री पंकज चौधरी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.396(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.399(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.388(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा

एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.376(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि.377(अ) जो 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 903(अ) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि.378(अ) जो 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ रुपये तक के कुल टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्ति को उक्त वित्त वर्ष में वार्षिक विवरणी दायर करने से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि.379(अ) जो 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 900(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 238/18/24]

- (2) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.397(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.400(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि.389(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि.380(अ) जो 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 901(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 239/18/24]

- (3) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.398(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.401(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर माल की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि.390(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 240/18/24]

- (4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.394(अ) जो दिनांक 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए सेज इकाई या डेवलपर द्वारा आयातों पर उदग्राह्य प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.395(अ) जो दिनांक 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिशों को प्रभावशील करने के लिए अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.426(अ) जो 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 261(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 241/18/24]

(5) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 तथा संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.234(अ) जो 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के विलय के पश्चात् अग्रिम विनिर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के संशोधन को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.381(अ) जो 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 940(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 242/18/24]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचकांक प्रदाता) विनियम, 2024 जो दिनांक 8 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/167 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं और जालसाजी का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/187 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/186 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 25 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/184 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/181 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/180 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/179 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/176 जो दिनांक 10 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि किसी वैकल्पिक निवेश निधि के प्रबंधक के प्रमुख निवेश दल में कार्यरत सहयोगी व्यक्तियों में से एक मुख्य कार्मिक राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा जारी दिनांक 10 जनवरी, 2024 की विज्ञप्ति संख्या एनआईएसएम/प्रमाणन/श्रृंखला-XIX-C: वैकल्पिक निवेश खंड प्रबंधक/2024/01 में यथा उल्लिखित एनआईएसएम श्रृंखला-XIX-C: वैकल्पिक निवेश खंड प्रबंधक प्रमाणन परीक्षा को उत्तीर्ण करके राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान से प्रमाणन प्राप्त करेगा।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शोध विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/170 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/169 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/185 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/174 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 243/18/24]

(7) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/174 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/171 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 244/18/24]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/173 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 245/18/24]

(9) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1003(अ) जो दिनांक 1 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ.3743(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2470(अ) जो 26 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 1 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1002 (अ) और दिनांक 27 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3068 (अ) को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए प्रकाशित हुआ था जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के परामर्श से, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (खग) के प्रयोजनों के लिए अनुसूची में, उसमें विनिर्दिष्ट माल को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

[Placed in Library, See No. LT 246/18/24]

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचओ:एचआरओपीएस:116:1540(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 5 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचआरएम/बीएम/पेंशन/2024-25/31-(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचआरडब्ल्यू:आईआरएस228ए:पीएस:1065:2024(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.290(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 9 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएसबी/पीईएन/एमईएनडी/1/2024(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचओ:पेंशन/एमआईएससी / 2024 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 2 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एचओपीएसडी/पेंशन/2024-25/50-(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 247/18/24]

- (11) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 8 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.372(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 248/18/24]

- (12) तनावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि, मुंबई के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 249/18/24]

- (13) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 250/18/24]

- (15) (एक) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीय और विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीय और विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

।

[Placed in Library, See No. LT 251/18/24]

- (16) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.406(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित करना तथा पेट्रोलियम क्लूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 6000 रुपये/एमटी से 7000 रुपये/एमटी तक बढ़ाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 252/18/24]

- (17) केंद्रीय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि.387(अ) जो दिनांक 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 9 जून, 2020 की अधिसूचना सं. 14/2020-सीमाशुल्क (एलईडी) को संशोधित करना तथा डीजीटीआर अनुशंसा के अनुसरण में, उत्पाद का नाम ??शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड?? से परिवर्तित करके ??शैल सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड?? करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 253/18/24]

- (18) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत माल और सेवा कर नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 254/18/24]

- (19) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण, गांधी नगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 255/18/24]

- (20) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सा.का.नि.402(अ) जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 22.06.2024 को हुई जीएसटी परिषद् की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर प्राधिकृत ग्राहकों को इकाई संचालित

केंटिनॉं द्द्वारा 2202 शीर्ष के अंतर्गत आपूर्तियों पर प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

I

[Placed in Library, See No. LT 256/18/24]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of my colleague, Sushri Shobha

Karandlaje, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Financial Estimates and Performance Budget (Hindi and English versions) of the Employees? State Insurance Corporation, New Delhi for the year 2024-2025 under Section 36 of the Employees? State Insurance Act, 1948.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 257/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Sir, I beg to lay on the

Table:-

- (1) A copy of the Output-Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the year 2024-2025.

[Placed in Library, See No. LT 258/18/24]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-
 - (i) The Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.807(E) in Gazette of India dated 30th October 2023.
 - (ii) The Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.201(E) in Gazette of India dated 14th March, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 259/18/24]

- (3) A copy of the Notification No. S.O.2215(E) (Hindi and English Versions) published in Gazette of India dated 7th June, 2024 making certain amendments in Notification No. S.O.1533(E) dated the 14th September, 2006, issued under Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 260/18/24]

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions issued under Section 6 and Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986:-
 - (i) Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.895(E) dated 15th December, 2023.
 - (ii) S.O.2409(E) published in Gazette of India dated 21st June, 2024 making certain amendments in the Notification No. S.O.2340(E) dated 21st June, 2024.
 - (iii) The Environment (Protection) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.75(E) dated 30th January, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 261/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the National Sports University Society, Imphal, for the years 2017-2018 to 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Sports University Society, Imphal, for the years 2017-2018 to 2021-2022.
- (2) Five statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 262/18/24]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2022-2023, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 263/18/24]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा

पटल पर रखता हूँ: -

- (1) ऑरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 की धारा 33 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, ऑरोविले प्रतिष्ठान, उप सचिव, भर्ती नियम, 2024, जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.324(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 264/18/24]

- (2) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 265/18/24]

- (4) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 266/18/24]

- (6) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 267/18/24]

- (8) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, पश्चिम गोदावरी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, पश्चिम गोदावरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 268/18/24]

- (10) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 269/18/24]

- (12) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 270/18/24]

- (14) (एक) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 271/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI HARSH MALHOTRA): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-
- The Nidhi (Amendment) Rules, 2024 published in G.S.R.413(E) dated 16th July, 2024.
 - The Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2024 published in G.S.R.107(E) dated 14th February, 2024.
 - The Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2024 published in G.S.R.403(E) dated 15th July, 2024.
 - The Companies (Significant Beneficial Owners) Amendment Rules, 2024 published in G.S.R.404(E) dated 15th July, 2024.
 - The Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2024 published in G.S.R.411(E) dated 16th July, 2024.
 - The Companies (Appointment and Qualification of Directors) (Amendment) Rules, 2024 published in G.S.R.412(E) dated 16th July, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 272/18/24]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:-

- (i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. IBBI/2023-24/GN/REG107. in Gazette of India dated 31st January, 2024.
- (ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. IBBI/2023-24/GN/REG108. in Gazette of India dated 31st January, 2024.
- (iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. IBBI/2023-24/GN/REG109. in Gazette of India dated 31st January, 2024.
- (iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. IBBI/2023-24/GN/REG110. in Gazette of India dated 31st January, 2024.
- (v) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. IBBI/2023-24/GN/REG111. in Gazette of India dated 31st January, 2024.
- (vi) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. IBBI/2023-24/GN/REG112. in Gazette of India dated 12th February, 2024.
- (vii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolutions Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. IBBI/2023-24/GN/REG113. in Gazette of India dated 15th February, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 273/18/24]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002:-

- (i) S.O.1130(E) published in Gazette of India dated 7th March, 2024 enhancing, on the basis of the wholesale price index and exchange rate of rupee, the value of assets and the value of turnover, by One hundred and fifty percent for the purposes of section 5 of the Competition Act, 2002, from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- (ii) S.O.1131(E) published in Gazette of India dated 7th March, 2024 exempting the enterprises, as mentioned therein, from the provisions of Section 5 of the said Act for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette as well as notifying the value of assets where a portion of an enterprise or division or business is being acquired, taken control of, merged or amalgamated with another enterprise.

[Placed in Library, See No. LT 274/18/24]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 64 of the Competition Act, 2002:-

- (i) The Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2024 published in Notification No. L-3(4)/Reg-L.P./2023-24. in Gazette of India dated 20th February, 2024.
- (ii) The Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024 published in Notification No. CCI/Reg-C.R./2024 in Gazette of India dated 6th March, 2024.

- (iii) The Competition Commission of India (Settlement) Regulations, 2024 published in Notification No. CCI/Reg-S.R./2024 in Gazette of India dated 6th March, 2024.
- (iv) The Competition Commission of India (Determination of Monetary Penalty) Guidelines, 2024 published in Notification No. B-64(3)-14011/1/2024-ATD-II in Gazette of India dated 6th March, 2024.
- (v) The Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024 published in Notification No. B-14011/2/2024-ATD-II in Gazette of India dated 6th March, 2024.
- (vi) The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2024 published in Notification No. L-3(2)/Regl.-Gen. (Amdt.)/ 2024/ CCI in Gazette of India dated 10th May, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 275/18/24]

12.04 hrs